

--: कार्यालय डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ :-

आदेश

थाना कबीर नगर के अप.क.13/26 घारा 137(2), 87, 84(2) बीएनएस एवं 4, 6 पावसी एक्ट के प्रकरण की विवेचना में विवेचक महिला प्रधान आरक्षक क.1507 चन्द्रकला साहू द्वारा स्पेच्छाधारिता एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किये जाने के फलस्वरूप महिला प्रधान आरक्षक क.1507 चन्द्रकला साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



(संदीप पटेल)


डिप्टी पुलिस कमिश्नर

पश्चिम क्षेत्र,

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर, छ.ग.

क्रमांक-डीसीपी/पश्चिम क्षेत्र/राय/स्टेनो-01/निलं./ /2026 दिनांक /01/2026
प्रतिलिपि :-

01. पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
02. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
03. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. सहायक पुलिस आयुक्त, आजाद चौक रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण में प्राथमिक जांचकर जांच प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजों के 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने हेतु।
05. रक्षित निरीक्षक, रायपुर को ओ.बी. एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. थाना प्रभारी, थाना कबीर नगर, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य लिपिक/स्थापना/एसआरसी/वेतन 01-02/आंकिक वेतन-भत्ता/अवकाश/फण्ड लिपिक/ एसी-1/ वेतन निर्धा. शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. संबंधित को द्वारा- थाना प्रभारी, कबीर नगर, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के माध्यम से सूचनार्थ एवं तामिली हेतु।



डिप्टी पुलिस कमिश्नर

पश्चिम क्षेत्र,

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर, छ.ग.